पतंजलि गुरुकुलम् में बालकों की माताओं/ महिला संरक्षकों हेतु आवश्यक निर्देश

पतंजलि गुरुकुलम् में सेवा हेतु आगंतुक सभी आदरणीय माताओं/ महिला संरक्षकों का पतंजलि गुरुकुलम् के दिव्य परिवेश में स्वागत है।

गुरुकुलम् में आगमन से पूर्व कृपया निम्नांकित नियम एवं निर्देशों को ध्यान से समझ लेवें-

1. प्री नर्सरी (प्रप्रत्यूष) नर्सरी (प्रत्यूष) एलकेजी (अरुण) यूकेजी (उदय) के बालकों के साथ उनकी माताजी या अन्य पारिवारिक महिला संरक्षक सदस्य जिनकी आयु 45 वर्ष से कम हो एवं पूर्ण स्वस्थ हो, जिनका स्वयं की शिक्षा-परीक्षा आदि का कोई उत्तरदायित्व ना हो, उनका न्यूनतम एक वर्ष तक के लिए गुरुकुलम में बालक के साथ रहना अनिवार्य है । इस बात का निश्चय बालक/ बालिका को प्रवेश दिलाने से पहले अच्छे से कर लीजिए । वर्ष के बीच में (किसी आपात स्थिति को छोड़कर)माताजी या महिला सदस्य का बदलना संभव नहीं होगा । बिना माताजी या महिला संरक्षक के हम इन कक्षाओं के छोटे बालकों को प्रवेश नहीं दे सकेंगे।
2. महिला संरक्षकों के आवास हेतु छात्रावास में बालकों के साथ ही डोरमेट्री (बंक बेड) की व्यवस्था है जिसमें आप अपने एवं आपको सेवार्थ सौंपे गए अन्य बालकों के साथ रहेंगी । सामूहिक स्नानागार एवं शौचालयों की व्यवस्था कक्ष के बाहर है।
3. माता/महिला संरक्षक अपने बालकों के साथ तीन से चार अन्य बालकों (कक्षा प्रथम से चौथी तक के) लिए भी मातृस्वरूपा रहेंगी व अपने बालक के साथ साथ उन 3-4 बालकों की सम्पूर्ण सेवा का दायित्व भी निर्वहन करेंगी।
4. माताओं/महिला संरक्षकों को गुरुकुलम् में यथाकाल, यथावश्यक सत्संग आदि एवं सेवा कार्य प्रदान किए जाएंगे जिससे सभी में सेवा,परोपकार एवं विनम्रता जैसे सद्भाव उन्नत होकर गुरुकुलम् में एक श्रेष्ठ दिव्य परिवेश उदभासित हो सके।
5. गुरुकुलम् में सभी के लिए भोजन प्रसाद की सामूहिक व्यवस्था गुरुकुलम् पाकशाला से ही रहेगी । पाकशाला में ही बनेगा छात्रावास में अलग से रसोई का सामान चूल्हा आदि रखने की एवं भोजन आदि बनाने की अनुमति नहीं है।
6. मातायें/महिला संरक्षक गुरुकुलम् परिसर में मोबाईल का न्यूनतम प्रयोग करना सुनिश्चित करें । डॉरमेट्री में बच्चों के समक्ष मोबाइल का प्रयोग, बिना अनुमति के फोटोग्राफी/ विडिओग्राफी करना सर्वथा निषिद्ध है। अपना मोबाइल किसी भी बालक को किसी भी प्रयोजन से ना दें ना ही किसी बालक के घर स्वयं फोन करें और ना ही बालक की बात करवाएँ अन्यथा आपका मोबाइल जमा कर लिया जाएगा और वापिस लौटाया नहीं जाएगा।

7. किसी भी परिस्थिति में माता/ महिला संरक्षक को किसी भी बालक पर हाथ नहीं उठाना है अथवा छड़ी इत्यादि से ताड़ना नहीं करनी है।
8. सभी माताओं/ महिला संरक्षकों को परस्पर भी प्रेम पूर्वक एक परिवार की तरह रहना है आपसी बातचीत में भी अपशब्दों का प्रयोग ना करें, झगड़ा इत्यादि नहीं करें । विशेष करके बच्चों के समक्ष आपसी बातचीत में भी अपशब्दों या निंदनीय शब्दों का प्रयोग ना करें।
9. सभी को "जी" लगाकर संबोधन करें-चाहे वह माताजी हो,बालक हो,आचार्य गण हों या कोई कर्मचारी।
10. किसी भी असुविधा/विवाद की स्थिति में आप व्यवस्थापकों को सूचना देंगे एवं उनके माध्यम से ही समाधान प्राप्त करेंगे।
11. गुरुकुलम् में केवल वार्षिक अवकाश (दीपावली पर्व पर 15 दिन) के समय ही सभी बालक और माताओं को घर जाने की अनुमति है। इसके अतिरिक्त सत्र के मध्य में किसी को भी घर जाने की अनुमति नहीं है । अपरिहार्य स्थिति में अपवाद रुप में अवकाश -स्वीकृति प्राचार्या जी के निर्णयाधीन होगी।
12. गुरुकुलम् में आते समय कोई भी बहुमूल्य वस्तुएँ, गहने आदि एवं अधिक धनराशि साथ ना लाएं और अपने सामान का स्वयं ध्यान रखें । आपके किसी भी कीमती सामान की सुरक्षा का उत्तरदायित्व संपूर्णत: आपका है, संस्था इसमें किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है।
13. गुरुकुलम् में केवल सात्विक आहार विहार विचार व्यवहार का ही स्थान है । अतः अपनी वेशभूषा भाषा व्यवहार व भोजन आश्रम की मर्यादा अनुसार ही रखें।
14. गुरुकुलम् में केवल बालक और उनकी माता या महिला संरक्षक सदस्य ही रह सकते हैं। परिवार के किसी अन्य सदस्य का गुरुकुलम् परिसर के अंदर ठहरना पूर्णतया: वर्जित है व इसकी कोई व्यवस्था गुरुकुलम् की ओर से नहीं रहेगी।
15. बालकों से मिलने आने वाले अभिभावकों को अपने भोजन व आवास की व्यवस्था स्वयं से ही करनी होगी।
16. गुरुकुलम् सेवा में नियुक्त माताएं/ महिला संरक्षक बिना पूर्व सूचना दिए और बिना पूर्व अनुमति के गुरुकुलम् परिसर से बाहर नहीं जायेंगी। अति आवश्यक होने पर अनुमति लेकर ही बाहर जायेंगी। गुरुकुलम् परिसर से बाहर रहने के काल में उनके व्यवहार, आचरण व सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी स्वयं की और उनके परिवार की ही होगी । गुरुकुलम् प्रशासन इसके लिए किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

17. कोई भी माता / महिला संरक्षक यदि संस्थान के विरुद्ध किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि, गलत आचरण, बिना अनुमति के बाहर जाने और अकारण ही व्यर्थ वाद-विवाद करने में लिप्त पाई जाती है तो उन्हे तुरंत बालक सहित गुरुकुलम् छोड़ने के लिए कहा जा सकता है।

18. गुरुकुलम् में स्वेच्छापूर्वक सेवार्थ आने वाली सभी मातायें/महिला संरक्षक का सभी के साथ विनम्रता-सेवा-सौहार्दपूर्ण कोमल व्यवहार पूर्णतः अपेक्षित है । अपने बालक के समान ही अन्य बालकों को भी बाल भगवान् स्वरूप स्वीकार करके सेवा कार्य करना अनिवार्य है। किसी भी प्रकार से क्रोध-रोष-निंदा-कलह-तीक्ष्ण व्यवहार-असहिष्णुता का गुरुकुलम् परिवेश में कोई स्थान नहीं है । आप सभी से निवेदन है कि यदि आप इस प्रकार के प्रेमपूर्वक व्यवहार व सात्विक सेवाभाव हेतु समर्पित हैं एवं गुरुकुलम् की तपश्चर्यापूर्ण जीवन शैली हेतु मानसरूप से पूर्णतः तैयार हैं तो ही इस प्रकल्प में सहभागी होंवें।

प्री- प्राइमेरी वर्गीय छात्रों के अभिभावकों/संरक्षकों से निवेदन है कि उपर्युक्त निर्देशों को भली-भांति समझकर एवं सहमति होने पर ही बालकों का गुरुकुलम् में प्रवेश कराएँ।